



# इटावा पुलिस



प्रेस नोट दिनांक 05.04.2024

## #OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिक युवती से छेडछाड करने वाले 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 03 वर्ष के कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 10,500-/- रूपये का दिया गया अर्थदंड ।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना सहसों व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिक युवती से छेडछाड करने वाले 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 03 वर्ष के कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 10,500-/- रूपये का दिया गया अर्थदंड ।

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 22.02.2021 को वादी विश्राम पुत्र रमोले ग्राम पिपरौली गढिया थाना सहसों जनपद इटावा द्वारा थाना सहसों पर अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने के संबंध में तहरीरी सूचना दी गयी तहरीर के आधार पर थाना सहसों पर मु0अ0सं0 15/2021 धारा 354/323 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट, 3(2)VA 3(1)S SC/ST ACT पंजीकृत किया गया ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी क्षेत्राधिकारी चकरनगर द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त सुन्दर उर्फ शिवम पुत्र इन्द्रपाल परिहार निवासी काला पाथर थाना बिठौली जनपद इटावा के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना सहसों पुलिस टीम, पैरोकार का0 दिनेश कुमार एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री दसरथ सिंह चौहान द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरूप उक्त अभियोगों से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 05.04.2024 को अन्तर्गत धारा 354/323 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट, 3(2)VA 3(1)S SC/ST ACT में मा0 न्यायालय ASJ/स्पेशल जज पोक्सो एक्ट कोर्ट जनपद इटावा द्वारा 03 वर्ष के कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 10,500-/- रूपये का दिया गया अर्थदंड ।

### सजायाफ्ता अपराधी-

1. सुन्दर उर्फ शिवम पुत्र इन्द्रपाल परिहार निवासी काला पाथर थाना बिठौली जनपद इटावा ।